फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

प्रीति बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र 152 जा0दी0 मु0नं0– 56/2025

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.08.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीया प्रीति पत्नि मेघराज जाति मीना निवासी घूमना द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष उनवानी मुकदमा प्रीति बनाम जुगलकिशोर वगै0 मु0न0 12/2022 उदघोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज दुरूस्ती बाबत पेश किया था जिसे न्यायलय हाजा द्वारा दिनांक 05.04.2023 को डिक्री कर दिया गया था। लेकिन त्रुटिवश निर्णय में प्रार्थीया प्रीति पत्नि मेघराज की जगह प्रीति पतिन जुगलकिशोर लिपिकीय त्रुटिवश अंकित हो गया, जिसे शुद्धि किया जावे। मूल पत्रावली तलब की गई। मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रीति पत्नि मेघराज वादीया संख्या 1 तथा वादी संख्या 2 नरोत्तम द्वारा वादपत्र पेश किया गया था लेकिन न्यायालय हाजा द्वारा जारी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.04.2023 में लिपिकीय त्रुटिवश सहवन से प्रीति पत्नि मेघराज के स्थान पर प्रीति पत्नी जुगलकिशोर अंकित हो गया तथा लिपिकीय त्रुटिवश ही वादपत्र के मुकदमा संख्या 12/2022 अंकित हो गया जबकि मूल वादपत्र के सही मुकदमा संख्या 184/2021 है। इसलिए निर्णय में हो रही उक्त लिपिकीय त्रुटियों को धारा 152 जा0दी0 के तहत शुद्ध किया जाना न्यायोचित है। अतः न्यायालय हाजा की मूल पत्रावली प्रीति बनाम जुगलकिशोर वगै0 मु0न0 184/2021 में पारित निर्णय दिनांक 05.04.2023 में प्रीति पत्नि जुगलकिशोर के स्थान पर प्रीति पत्नि मेघराज तथा मु0न0 12/2022 के स्थान पर 184/2021 शुद्ध किया जाता है। उक्तानुसार शुद्धि का लाल पेन से निर्णय में अंकन किया जावे। तहसीलदार उपरोक्तानुसार शुद्धिअनुसार निर्णय की पालना करें। इस प्रार्थना पत्र 152 जा0दी0 को मूल पत्रावली के साथ सलग्न किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	